महत्वपूर्ण/स्थानान्तरण नीति
संख्या- 613/पन्द्रह-2-2025

प्रेषक,

उमेश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
स्कूल शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक **20-05-2025**

विषय-राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में आनलाइन स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सा0(1)शि0/म0/995/2025-26, दिनांक 14.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में आनलाइन स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराते हुए विचार कर निर्णय लिये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर समयक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2025-26 के स्थानान्तरण सत्र में आनलाइन स्थानान्तरण की व्यवस्था निम्नवत् है:-

(1) उन्ही विद्यालयों में उपलब्ध विषयवार रिक्तियों को बेवसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिन राजकीय हाईस्कूलों में 03 या 03 से कम सहायक अध्यापक कार्यरत है, इसी प्रकार इण्टर स्तर के विद्यालयों में 03 सहायक अध्यापक व 03 प्रवक्ता से कम शिक्षक कार्यरत है। इससे अधिक शिक्षक कार्यरत होने वाले विद्यालयों की रिक्तियों को प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे विद्यालय जहाँ किसी विषय में एक से अधिक पद सृजित हैं तथा उसी विषय में किसी 01 पद पर सहायक अध्यापक/प्रवक्ता कार्यरत है तो ऐसे विद्यालयों में उसी विषय की शेष रिक्तियों को वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(3) कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन के दिनांक 06 मई, 2022 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-01/ 2025/119/सामान्य/सैंतालिस-का-4-2022-1/3/96 में क्रम-4 के खण्ड (iv) मे उल्लिखित भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से संबंधित 08 जनपद यथा चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपद एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में स्थित विद्यालय की समस्त रिक्तियों को आनलाईन प्रदर्शित किया

जायेगा।

(4) प्रदेश में संचालित राजकीय अभिनव विद्यालय में रिक्त पदों को भी उक्तानुसार बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा तथा संवर्ग के शिक्षकों की भांति स्थानान्तरण किया जायेगा।

स्थानान्तरण हेतु आधार/मानक:-

1. वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2025-26 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) के स्थानान्तरण वार्षिक स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत बेवसाइट पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर किये जायेंगे।
2. स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका ऑनलाइन माध्यम से प्रदर्शित रिक्त पदों के प्रति अधिकतम प्रदेश के 10 विद्यालयों के लिये वरीयता क्रम में आवेदन कर सकेंगे।
3. 31 मार्च, 2022 के पश्चात् नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका ऑनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।
4. राजकीय बालिका इण्टर कालेज/राजकीय बालिका हाई स्कूल हेतु केवल महिला संवर्ग की अभ्यर्थी आवेदन कर सकती हैं।
5. ऑनलाइन स्थानान्तरण में वरीयता निर्धारण, भारांक का निर्धारिण शासनादेश संख्या-8/2023/405/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023-1(3)96, दिनांक 03 अगस्त, 2023 के अनुसार किया जायेगा:-

क्रम संख्या	मानक का विवरण	निर्धारित गुणांक
1	दिव्यांग होने की स्थिति में (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)	20
2	पति-पत्नी के राजकीय सेवा में होने के साथ तैनाती के लिये	20
3	गंभीर रूप से स्वयं की बीमार होने अथवा बच्चों के दिव्यांग होने की स्थिति में (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा)	15
4	सेवा निवृत्ति के 02 वर्ष से कम की अवधि होने की स्थिति में	15
5	प्रथम नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक (अधिकतम अंक-20)	20
6	लघु दण्ड होने की स्थिति में	-5 (नकारात्मक)
7	पिछले 03 वर्ष में वृहद दण्ड होने की स्थिति में	-10 (नकारात्मक)

6. आनलाईन स्थानान्तरण हेतु एक ही पद पर प्राप्त आवेदन पत्रों में से निर्धारित मानक एवं गुणांक के आधार पर अधिक गुणांक प्राप्त करने वाले आवेदक को स्थानान्तरण में वरीयता दी जायेगी।
7. एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जायेगी।

8. प्रत्येक हाईस्कूल में कम से कम 03 सहायक अध्यापक तथा इण्टर कालेज में 03 प्रवक्ता तथा 03 सहायक अध्यापको का होना अनिवार्य होगा, इससे अधिक संख्या होने पर ही शिक्षक / शिक्षिका का आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेगा।
9. विद्यालय में आवेदक एक से अधिक है तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ आवेदक का आवेदन पत्र अग्रसारित किया जायेग।
10. आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों तथा आवेदक द्वारा वरीयता का लाभ प्राप्त करने हेतु चुने गये मानकों हेतु लगाये गये प्रमाण-पत्रों का सत्यापन इस शासनादेश में वर्णित निर्देशानुसार किया जायेगा। आवेदन पत्र सत्यापन एवं अग्रसारण की कार्यवाही संबंधित जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जायेगी। स्थानान्तरण आवेदन के सत्यापन / अग्रसारण में प्रधानाचार्य / जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से किसी प्रकार की शिथिलता बरते जाने (गलत सत्यापन / अग्रसारण) का तथ्य प्रकाश में आने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक अग्रसारण की शर्तों के अनुपालन की जांच में उपयोग किये गये अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में संरक्षित रखेगें ।
11. शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न संस्थानों यथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कार्यालय पाठ्य पुस्तक अधिकारी, उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० आदि संस्थानों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु चयनित / नियुक्त प्रवक्ता / सहायक अध्यापक (पुरुष/महिला) इस स्थानान्तरण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।
12. कार्मिक विभाग, उ०प्र० शासन के दिनांक 06 मई, 2022 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-01/2025/119/सामान्य / सैंतालिस-का-4-2022-1/3/96 में क्रम-4 के खण्ड (iv) मे उल्लिखित भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से संबंधित 08 जनपद यथा चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर बलरामपुर सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपद एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में दी गयी व्यवस्थानुसार विभाग द्वारा यथासम्भव समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहाँ तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाए।
13. सहायक अध्यापक / प्रवक्ताओं का ऑनलाइन स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे, उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में विभागीय मंत्री जी के अनुमोदन से ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।
14. स्थानान्तरण सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया 15 जून, 2025 तक पूर्ण की जायेगी, जिससे विद्यालय प्रारम्भ होने से पूर्व शिक्षकों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकें।
15. अपरिहार्य स्थिति/प्रशासनिक आधार/जनहित में कार्यरत संवर्ग के 04 प्रतिशत की सीमा तक माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा किसी भी प्रवक्ता/सहायक अध्यापक (पुरूष/महिला) के आवेदनों पर स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

कृपया तद्नुसार आनलाइन स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी निर्गत करते हुए अग्रतर

कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र)
विशेष सचिव।

Digitally signed by
UMESH CHANDRA
Date: 20-05-2025
16:55:23

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. शिक्षा निदेशक माध्यमिक, उ0प्र0, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित है कि राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय भवन, अलीगंज से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए तत्काल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, केन्द्रीय भवन, अलीगंज को इस आशय से प्रेषित है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से आनलाइन स्थानान्तरण की प्रक्रिया को ससमय पूर्ण कराने हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
3. अपर शिक्षा निदेशक, राजकीय/माध्यमिक, उ0प्र0 प्रयागराज,
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0, (द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक)
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

Digitally signed by
SATYENDRA KUMAR SRIVASTAVA
Date: 20-05-2025 17:05:00